रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 अप्रैल, 1980/6 वैशाख, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

आदेश

शिमला, 23 मार्च, 1980

संख्या खाद्य.आ.-क(3)-2/80.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल काला बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था अधिनियम, 1980 (1980 की अधिनियम संख्या 7) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अध्यादेश के अधीन हिमाचल प्रदेश की किसी जेल अथवा उप-जेल में बन्दी रखें जाने वाले व्यक्तियों के लिये बन्दी बनाने सम्बन्धी निम्नलिखित शर्तें सहर्ष निश्चित करते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होना.—(1) इस आदेश को हिमाचल प्रदेश बन्दी (बन्दी बनाने की शर्तें) आदेश, 1980 कहा जा सकेगा ।

(2) यह आदेश पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू होगा ।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें काला बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था अधिनियम, 1980 की धारा 5 के अधीन दिये गये आदेश के द्वारा बन्दी बनाया गया हो ।

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) बन्दी से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे काला बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अनुसरण में दिये गये आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में बन्दी बनाया जा रहा हो ।

(ख) "जेल" से अभिप्राय बन्दी गृह अधिनियम, 1894 (1894 की अधिनियम संख्या 9) की धारा 3 में परिभाषित बन्दीगृह से है तथा इसमें पुलिस बन्दी खाना अथवा कोई अन्य स्थान जिसे राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उप-जेल घोषित किया गया है, समाविष्ट होगा ।

(ग) "सम्बन्धी" में बन्दी के पिता, माता, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, भाई, बहिन, ससुर, सास, साली तथा साला समाविष्ट होंगे ।

(घ) "अधीक्षक" से अभिप्राय उस बन्दी गृह के अधीक्षक से है जहां किसी बन्दी को रखा गया हो अथवा पुलिस बन्दी खाना की स्थिति में इसका अभिप्राय उस पुलिस थाने के कार्यभारी अधिकारी से होगा जिसके क्षेत्राधिकार में बन्दी खाना स्थित है ।

3. वर्गीकरण.—बन्दियों का वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जायेगा अर्थात विशेष श्रेणी तथा साधारण श्रेणी । संसद, विधान सभाओं तथा विधान परिषदों के सभी सदस्यों को विशेष श्रेणी में तथा अन्य सभी बन्दियों को साधारण श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ।

4. अनुग्रह पूर्वक (एक्सग्रेशिया) परिवार भत्ता.—यदि राज्य सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझें, इस बारे में सन्तुष्ट हो कि बन्दी बनाया गया व्यक्ति ही परिवार के लिए जीविका कमाने वाला है तथा उसके बन्दी बनाये जाने से परिवार के जीवन निर्वाह पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है तो बन्दी बनाये गये व्यक्ति के परिवार को सरकार बन्दी की आय पर 33-/3 प्रतिशत की दर से अनुग्रह पूर्वक (एक्सग्रेशिया) परिवार भत्ता दे सकती है; बशर्ते-कि ऐसे अनुदान की राशि किसी भी अवस्था में प्रतिमास 75 रुपये से कम तथा 150/- रुपये से अधिक नहीं होगी ।

5. वास सुविधा.—बन्दी को जब जेल में रखा जाना हो तो उन्हें कोठरी अथवा सहवास बन्दी कक्ष (विशेषत: सहवास बन्दी कक्ष) में रखा जायेगा । परन्तु यदि उन्हें पुलिस बन्दी खानों में रखा गया हो, तो इन्हें अन्य व्यक्तियों से पृथक रखा जायेगा किन्तु यदि वहां अन्य बन्दी हों तो उन्हें एक दूसरे से अबाध मिलने दिया जायेगा । सचिव (खाद्य, एवं आपूर्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश किसी भी बन्दी अथवा बन्दियों के विशिष्ट वर्ग को पृथक रख सकते हैं और यदि ऐसा किया जाना किसी भी आधार पर अपेक्षित हो । बन्दियों को गर्मी के मौसम में खुली हवा में सोने की अनुमति दी जायेगी, जहां ऐसी व्यवस्था उपलब्ध हो अथवा उपलब्ध करवाई जा सकती हो ।

6. तालाबन्दी.—बन्दियों को रात के समय प्राय: ताले में बन्द नहीं रखा जायेगा, तथापि, यदि अधीक्षक बन्दी के संदिग्ध चरित्र के कारण ऐसा करना उचित समझें तो वह उसे रात के समय बन्दी गृह में बन्द रखेगा तथा इसके कारण रोजनामचे में दर्ज करेगा । परिसर का बाह्य द्वार 24 घंट बन्द रहेगा ।

7. भोजन.—विशेष श्रेणी के बन्दी को 10.00 रुपये तथा सामान्य श्रेणी के बन्दी को 8.00 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भोजन भत्ता दिया जायेगा । वे जेल के कर्मचारियों की सहायता से भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे । उन्हें बन्दीगृह में कैदियों के लिये रखी गई सामग्री में से खाद्य सामग्री दी जायेगी तथा उन्हें दी गई सामग्री का मूल्य बन्दियों के लिये खोले गये पृथक लेखे से पूरा

किया जायेगा । इस के अतिरिक्त वे अन्य वस्तुएं कारावास (कैन्टीन) के जल पानगृह से भी ले सकते हैं । वे यदि चाहें तो अपनी इच्छा की वस्तुएं अधीक्षक द्वारा अनुमोदित ठेकेदार के माध्यम से बाहर से भी मंगवा सकते हैं । इस प्रकार क्रय की गई वस्तुओं का अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जायेगा ।

(2) बन्दियों के अधीक्षक द्वारा अपने भोजन में ताजे व (सूखे) फलों को यथोचित मात्रा सहित प्रति सप्ताह 1.25 कि0ग्रा0 शुद्ध घी बाहर से मंगवाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, बशर्ते-कि इस प्रकार प्राप्त की गई खाद्य सामग्रियों का अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जायेगा ।

8. वस्त्र तथा बिस्तर.—प्रत्येक बन्दी अपने वस्त्र पहन सकता है तथा उसके सम्बन्धी, अधीक्षक की अनुमति से उसे अतिरिक्त वस्त्र तथा बिस्तर भेज सकते हैं । ऐसे बन्दी को जो अपने लिए वस्त्र तथा बिस्तर उपलब्ध करने में असमर्थ हो अधीक्षक द्वारा निम्नलिखित मात्रा के अनुसार इस शर्त पर वस्त्र तथा बिस्तर प्रदान किये जायेंगे कि उसे निजी वस्त्र तथा बिस्तर प्रयोग करने की आज्ञा नहीं होगी ।

	विशेष श्रेणी (सभी ऋतु में)	साधारण श्रेणी
कुर्ते	4	4
पाजामें या धोतियां	4	4
चादरे या बिस्तर की चादरें	2	2
आवरण चादरें	2	2
तौलिये	2	2
सूती दरियां (7″ × 4′)	1	1
तलाई	1	1
कच्छे अथवा जांगियें	3	3
बनियानें	2	2
पगड़ी अथवा टोपियां	2	2
तकिये दो खोलों सहित	1	1
देसी जूते	1 (जोड़ा)	1 (जोड़ा)
कम्बल	1	1
अन्य सभी ऋतुओं में दिये जाने वाले वस्त्रों तथा बिस्तर के अतिरिक्त शीत ऋतुओं में :—		
स्वेटर	1	1
रजाई	1	1
ऊनी कोट	1	1
रजाई का गिलाफ	1	1
ऊनी जुराब	2 (जोड़े)	2 (जोड़े)

टिप्पणी.—(i) सभी बन्दियों को यदि वे चाहें देसी जूतों की अपेक्षा अंग्रेजी नमूने के जूते दिये जा सकते हैं।

(ii) अधीक्षक सरकारी खर्च पर बन्दियों के जूतों की मुरम्मत की व्यवस्था करेगा।

(iii) अधीक्षक, ऐसे बन्दियों को जिनके पास रिहाई के समय अपने वस्त्र न हों आवश्यक वस्त्र प्रदान कर सकता है ।

(iv) यदि बन्दी जेल के वस्त्र न पहनना चाहे तथा उसके पास अपने वस्त्र न हों तो उसकी इच्छा के कपड़े बनवाये जा सकते हैं ; बशर्तेकि गर्मी तथा सर्दी के मौसम में पहने जाने वाले वस्त्रों का व्यय उस मात्रा से अधिक न हो जो कि उस श्रेणी के बन्दी के कपड़ों के लिये निश्चित किया गया हो ।

9. उपस्कार (फर्नीचर).—(1) विशेष तथा साधारण श्रेणी के बन्दियों को निम्नलिखित उपस्कार (फर्नीचर) दिया जायेगा :—

1.	चारपाई	एक
2.	लकड़ी की कुर्सी	एक
3.	लकड़ी की तिपाई	एक
4.	लिखने का मेज	एक
5.	शैल्फ-कप बोर्ड या अलमारी	एक
6.	मच्छर दानी	एक

(2) इसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी के बन्दियों को अपने खर्च पर उचित सीमा तक अन्य सामान रखने की भी अनुमति होगी ।

(3) सभी बन्दियों को यथासम्भव बिजली के पंखे भी उपलब्ध करवाये जा सकते हैं ।

10. विविध भत्ते.—सभी बन्दियों को प्रसाधन सामग्री, धुलाई तथा धुम्रपान आदि खरीदने हेतू प्रतिमास 25 रुपये की एक मुश्त राशि विविध भत्ते के रूप में दी जायेगी । यह भत्ता अधीक्षक द्वारा रखा जायेगा तथा यह दो महीने से अधिक अवधि के लिये जमा नहीं रहेगा । खर्च न की गई राशि का भुगतान बन्दियों को नहीं किया जायेगा ।

11. निधियां—(1) सभी बन्दी जीवन की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये अपने सम्बन्धियों अथवा मित्रों से ऐसे अन्तराल में जो एक मास से कम न हो समय रूप से ऐसी निधियां प्राप्त कर सकते हैं जो प्रति मास 50 रुपये से अधिक न हो ।

(2) इस प्रकार प्राप्त की गई सभी निधियां अधीक्षक द्वारा रखी जायेंगी तथा उसके द्वारा बन्दियों की ओर से खर्च की जायेगी ।

12. अनुशासन तथा तलास.—(1) बन्दी अनुशासन के प्रयोजन हेतू, सिविल कैदियों से सम्बन्धित ऐसे नियमों के अध्याधीन होगा जो इस आदेश अथवा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पारित किसी अन्य विशेष आदेश से असंगत न हो ।

(2) प्रत्येक बन्दी तथा उसी कोठरी या बन्दी कक्ष की उप-अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा तैनात सहायक अधीक्षक के द्वारा सप्ताह में एक बार तलाशी ली जायेगी । तलाशी करने के लिये विशेष सावधानियां बर्ती जायेंगी तथा तलाशी के तथ्य उप-अधीक्षक या सहायक अधीक्षक की रिपोर्ट बुक में लिए जायेंगे । यदि अधीक्षक आवश्यक समझे, तो प्रत्येक बन्दी की किसी अन्य समय भेंट से पूर्व या बाद में भी तलाशी ली जायेगी ।

13. भेंट.—(1) प्रत्येक बन्दी को राज्य सरकार या उस जिला के जिला मैजिस्ट्रेट की जिसमें बन्दी को केन्द्रीय या राज्य सरकार के आदेशों से बन्दी बनाया गया है पूर्वलिखित अनुमति से अपनी रुची के वकील से निम्नलिखित शर्तों पर भेंट करने दी जायेगी ।

(1) भेंट की सप्ताह में एक से अधिक बार अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(2) भेंट बन्दी के कैद किए जाने से सम्बन्धित मामलों अथवा बन्दी से सम्बन्धित ऐसे अन्य न्यायिक मामलों जो न्यायालय में विचाराधीन हों के बारे में ही होगी ।

(3) भेंट किसी एक समय में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी ।

(4) भेंट यथा स्थिति राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी या जिला के जिला मैजिस्ट्रेट या सम्बन्धित जेल के अधीक्षक या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की उपस्थिति में होगी तथा बताचीत इस ढंग से की जायेगी कि उक्त अधिकारी इसे सुन सकें ।

(2) बन्दी के आवेदन पर जिला मैजिस्ट्रेट या जेल अधीक्षक निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में उस द्वारा निश्चित एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ विशेष भेंट करने देगा, जैसे —

(1) आय कर, विक्रय कर या सदृश विवरणियां पूरा करने के सम्बन्ध में।

(2) व्यापार या व्यावसयिक मामलों के सम्बन्ध में यदि जिला मैजिस्ट्रेट या जेल अधीक्षक इस बारे में सन्तुष्ट हो कि ऐसे मामलों की देखभाल बन्दी के सिवाये कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता :

परन्तु ऐसी भेंट जिला मैजिस्ट्रेट अथवा जेल के अधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में होगी तथा बातचीत इस ढंग से की जायेगी ताकि उक्त अधिकारी उसे सुन सकें।

(3) बन्दी को उस जिला के जिला मैजिस्ट्रेट या जेल के अधीक्षक जिसमें बन्दी कैद किया गया है के द्वारा उसके परिवार के सदस्यों, निकट सम्बन्धियों के साथ एक पक्ष (चौदह दिन) में इस शर्त पर भेंट करने के लिए अनुमति दी जायेगी कि भेंट यथा स्थिति जिला मैजिस्ट्रेट अथवा जेल के अधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में होगी तथा बातचीत इस ढंग से की जायेगी ताकि उक्त अधिकारी उसे सुन सकें।

(4) बन्दी तथा उसके सम्बन्धियों में हुई सभी भेंटों का और प्रत्येक भेंट में उपस्थित व्यक्तियों के पते सहित नामों का अधीक्षक अपने पास विवरण रखेगा।

(5) अधीक्षक अथवा उप-खण्ड (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी यदि यह पाते हैं कि बातचीत किसी अवांछनीय विषय जैसे दल या राजनीति पर होने लगे तो वे भेंट बन्द कर सकते हैं।

(6) यथा स्थिति राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अधीन पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराधी अनुसंधान विभाग, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी अकेले पुलिस अधिकारी या जिसके साथ अन्य पुलिस अधिकारी हों और अधीनस्थ पुलिस अधिकारी संग लिए हुए हों अथवा नहीं हो को बन्दी से पूछ-ताछ करने के लिये प्राधिकृत कर सकते हैं।

(7) इस प्रकार प्राधिकृत पुलिस अधिकारियों को बन्दियों से इस आशय को लिखित अधियाचना के उपरान्त उनके कक्ष अथवा वार्ड में पूछ-ताछ करने की अनुमति होगी। बात चीत के समय कक्ष अथवा वार्ड में मुलाकात करने जाने वाले प्रत्येक अधिकारी के साथ उतने अनुरक्षक होंगे जितने अधीक्षक उसकी सुरक्षा के लिये आवश्यक समझें। यदि अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो तो अनुरक्षक बात-चीत के समय इतनी दूरी पर खड़ा होगा कि वह बात-चीत न सुन सके परन्तु उसकी नजरों के सामने हो।

(8) इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी बन्दियों से सामान्य भेंट कक्ष में, उस आशय की लिखित मांग पर जेल अधिकारी की उपस्थिति के बिना भी भेंट कर सकता है।

14. पत्र व्यवहार तथा सेंसर कार्य.—(1) विधान मण्डल के बन्दी सदस्यों से सम्बन्धित चेयरमन अथवा अध्यक्ष को भेजे जाने वाले आए पत्र तथा चैयरमैन अथवा अध्यक्ष द्वारा बन्दी से किये गये पत्र-व्यवहार, बन्दी तथा विधि न्यायालय के बिच पत्र व्यवहार को सेंसर नहीं किया जायेगा तथा उन को अधीक्षक द्वारा सीधे सम्बन्धित स्थानों को अग्रेबित कर दिया जाऐगा। अधीक्षक द्वारा प्राप्त ऐसे पत्र उनकी प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर भेजे जायेंगे। विधान सभा सचिवालय से विधान मण्डल के बन्दियों के लिये प्राप्त पत्र तथा किसी बन्दी को विधि न्यायालय से आये पत्र उसी दिन वितरित किए जायेंगे जिस दिन वे प्राप्त हों।

(2) प्रत्येक बन्दी को उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट पत्रों के अतिरिक्त प्रति सप्ताह सरकारी खर्च पर चार पत्र लिखे की अनुमति होगी तथा वह हर सप्ताह किसी भी संख्या में पत्र प्राप्त कर सकता है। बन्दी द्वारा सभी पत्र इस आदेश से संलगन फार्म 'ख' पर लिखे जायेंगे तथा निर्धारित लम्बाई से अधिक नहीं होंगे। आवश्यक फार्म सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

(3) अत्यन्त आवश्यकता होने पर तथा बन्दी को अपने सामान्य बन्दी स्थान से दूर जेल में रखे जाने पर अधीक्षक उसे स्वेच्छ से उप-खण्ड (2) में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त पत्र व्यवहार करने की अनुमति दे सकता है।

(4) पत्रों को सेंसर करते हुए जेल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि—

(क) पत्रों के अनुचित विलम्ब तथा हस्तान्तरण अथवा वितरण के विलम्ब का कोई कारण नहीं है।

(ख) वितरित अथवा हस्तान्तरित पत्रों में ऐसा कुछ नहीं है जो कि सरकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(5) सरकार द्वारा बन्दी को सम्बोन्धित पत्र तथा उनके उत्तर को इस आदेश के अधीन पत्र विनिमय में पत्रों की संख्या निर्धारित करने के लिये सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) बन्दी द्वारा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को सम्बोधित सारा पत्र-व्यवहार राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जायेगा। परन्तु यह उप-खण्ड (1) के पत्र व्यवहार पर लागू नहीं होगा।

(7) बन्दी को या बन्दी से कोई भी पत्र समाचार पत्र अथवा अन्य संचार पत्र अधीक्षक के अथवा किसी अन्य अधिकारी के जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे माध्यम के अतिरिक्त प्रेषित नहीं किया जाएगा।

(8) जेल में रखे गए बन्दी के लिए या उसके द्वारा दिये पत्र सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा पढ़े जाएंगे तथा राज्य सरकार के किसी विशेष आदेश के अधीन अधीक्षक द्वारा सीधे पुलिस महानिरीक्षक हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत किए जायेंगे, जो अपने विवेक पर पत्र/पत्रों को अविलम्ब अग्रेषित करेगा अथवा सन्देह होने पर रोक लेगा। पुलिस महानिरीक्षक हिमाचल प्रदेश पत्रों को हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह सचिव अथवा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त अधिकारी को भेजेगा।

(9) यदि बन्दी द्वारा दिए गए अथवा उसे दिए जाने वाले सन्देश में अधीक्षक द्वारा कोई बात जेल अनुशासन की दृष्टि से आपत्तिजनक पाई जाती है, तो वह उसे काट सकता है अथवा काटने के लिए चिन्हित कर सकता है और ऐसे सन्देश को उचित प्राधिकारी को प्रेषित करते समय इस सम्बन्ध में उल्लेख कर सकता है कि क्या किया गया है।

(10) बन्दी को भेजा गया अथवा उससे प्राप्त हुआ प्रत्येक पत्र उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा जिसने वह पत्र व्यवहत किया है।

(11) उन सभी मामलों में जिनमें कि पत्र को रोका गया है, सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा बन्दी को उस उक्त तथ्य से सूचित किया जाएगा। रोके गए सभी पत्र महानिरीक्षक पुलिस हिमाचल प्रदेश अथवा किसी दूसरे अधिकारी जिसे कि सरकार ने इस उद्देश्य के लिए नामोद्दिष्ट किया हो भेजे जाएंगे, जो अपने विवेकानुसार या तो उन्हें रख सकता है अथवा नष्ट कर सकता है।

(12) बन्दी द्वारा दी गई अथवा बन्दी को भेजी जाने वाली तारों में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

जब तार राज्य सरकार की ओर से अथवा राज्य सरकार को हो, तो यह सीधी भेजी जाएगी बशर्ते कि राज्य सरकार सदैव केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र व्यवहार में मध्यस्थ हो तो। अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि केवल वही तारें बन्दियों द्वारा या बन्दियों को प्रेषित की जाती है जिनके वर्ण्य विषय ऐसे हैं कि उनमें तार संचार का प्रयोग न्यायसंगत है। अधीक्षक बन्दी की ओर से कोई तार जिसमें तार के रूप में याचिका भी सम्मिलित है, को तार के माध्यम की बजाए डाक द्वारा भेज सकता है। जहां उसके विचार में विषय सूची इतनी पर्याप्त और अत्यावश्यक न हो जिसका तार द्वारा संचार न्यायसंगत हो।

13. बन्दी उस द्वारा बाहर किए जाने वाले पत्र व्यवहार (तारों सहित) के साथ एक पर्ची नत्थी करेगा जिसमें पाने वाले का पूरा नाम व पता और सम्बन्ध यदि कोई हो, और पत्र अथवा तार में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति का नाम व पता लिखा हो। यह पर्चियां पुलिस महानिरीक्षक हिमाचल प्रदेश अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नामोद्दिष्ट किसी दूसरे अधिकारी को भेजी जाएगी और यदि उसका विचार हो कि पत्र लिखने वाले को पत्र पाने वालों के साथ पत्राचार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए तो अधीक्षक अथवा सम्बन्धित अधिकारी को उसके भविष्य में मार्ग-दर्शन के लिए सूचित करेगा।

लेखन सामग्री

1. सभी बन्दियों को उनके अपने खर्च पर लेखन सामग्री वितरित की जाएगी, बशर्तेकि कागज का वितरण निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :—

(i) एक समय पर यह थोड़ी मात्रा में सप्लाई किया जाएगा और बन्दी को दिए जाने से पहले इसमें नम्बर तथा जेल की मोहर लगाई जाएगी, और

(ii) अतिरिक्त कोटा तब तक वितरित नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले वितरित किए गए कागज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं और उसे उचि रूप में प्रयोग किया हुआ नहीं पाया जाता है।

2. बन्दी विद्यार्थियों को जेल में पढ़ाई जारी रखनेहेतु सभी सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाएगी।

3. सभी बन्दी जो हिन्दी सीखने के इच्छुक हो उन्हें पढ़ाई के घण्टों के दौरान सरकारी खर्चों पर स्लेटें, पैन्सिलें, तख्तीयां, स्याही के दवात और पैन दिए जाएंगे।

परीक्षा

16. बन्दी विद्यार्थियों की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

17. **अपराध और दण्ड:**

(i) बन्दी—अधीक्षक द्वारा नियत किए गए आवास स्थान में निवास करेगा चाहे वह सहवास बन्दी कक्ष हो अथवा कोठरी हो ;

(ii) अधीक्षक द्वारा इस बारे में दिए गए सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा दी गई अनुमति के बिना जेल की सीमा से बाहर नहीं जाएगा ;

(iii) बन्दी के आराम, सुरक्षा और स्वास्थ्य अथवा अनुशासन नियमित व्यवहार और नियन्त्रण के लिए अधीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन करेगा;

(iv) अधीक्षक द्वारा जेल के अन्दर निर्धारित किए गए समय और स्थान पर उपस्थिति लगाते समय उपस्थित रहेगा और अपने नाम के बोले जाने पर स्वंय उत्तर देगा ;

(v) अधीक्षक द्वारा निर्धारित वर्दी और स्वच्छता के स्तर का अनुपालन करेगा ;

(vi) अपने शारीरिक कल्याण को प्रभावित करने वाली कोई बात जानबूझ कर नहीं करेगा;

(vii) कोई भी सिक्का, करन्सी नोट अथवा विक्रय उपकरण और कोई हथियार छड़ी सेफ्टी रेजर के इलावा कोई अन्य रेजर, लोहे के टुकड़े अथवा अन्य कोई पदार्थ जो कि हथियार के तौर पर प्रयोग हो सकता है, अपने कब्जे में नहीं रखेगा;

(viii) अपनी किट, किट के किसी भी सामान, कपड़े, फर्नीचर अथवा अपने कब्जे में अन्य वस्तुओं को न तो बदलेगा न बेचेगा; और

(ix) निर्धारित खुराक को खाने से इन्कार नहीं करेगा।

2. कोई भी बन्दी जो उप-खण्ड (1) के उपबन्धों में किसी एक का भी उल्लंघन करता है अथवा उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों का पालन करने से इन्कार करता है अथवा निम्नलिखित किसी भी कार्य को करता है जैसे (अथवा)—

(1) किसी सहबन्दी कैदी को, जेल के किसी भी अधिकारी को अथवा अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को या जेल में कार्यरत अथवा जेल में दौरा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रहार करता, अपमान करता, धमकी देता और बाधा डालता है;

(2) अशोभनीय, चरित्रहीन, अथवा अनुचित व्यवहार का दोषी है; अथवा

(3) जेल में किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है; अथवा

(4) जेल से बाहर किसी व्यक्ति से अनाधिकृत रूप से पत्राचार करता है अथवा पत्राचार करने की कोशिश करता है; या

(5) किसी सरकारी कर्मचारी अथवा जेल में कार्यरत अथवा जेल में दौरा करने वाले किसी व्यक्ति को रिश्वत देता है अथवा रिश्वत देने की कोशिश करता है; या

(6) कोई उपद्रव करता है अथवा जानबूझ कर किसी कूएं, शौचालय, धुलाई अथवा स्नानगृह को गन्दा करता है; अथवा

(7) जेल के किसी भी अधिकारी का निरादर करना है अथवा आदेशों का पालन नहीं करताहै ; अथवा

(8) किसी सरकारी सम्पत्ति को जानबूझ कर हानि पहुंचाता है अथवा जेल के किसी ताले, लैम्प अथवा बिजली के साथ छेड़-छाड़ करता है; या

(9) अधीक्षक के आदेशों का उल्लंघन करके किसी भी चीज को प्राप्त करता है, अधिकार में रखता है अथवा हस्तान्तरण करता है; अथवा

(10) बीमारी का बहाना करता है; अथवा

(11) जेल के किसी अधिकारी अथवा केदीयों के विरुद्ध झूठा दोष लगाता है; अथवा

(12) अपने ज्ञान में आने पर आग लगने, किसी षड़यन्त्र अथवा साजिश, भागने की किसी कोशिश अथवा भागने की तैयारी और जेल के किसी अधिकारी पर आक्रमण की सूचना नही देता अथवा सूचना देने से इन्कार करता है, अथवा

(13) सहकैदियों को पूर्वोक्त कार्यों को करने के लिए अवप्रेरित करता है अथवा

(14) किसी सहकैदी द्वारा भागने की कोशिश अथवा अधिकारियों, किसी कर्मचारी व कैदियों पर आक्रमण की स्थिति में जेल के अधिकारियों की सहायता नहीं करता अथवा सहायता करने से इन्कार करता है तो उस द्वारा जेल अपराध किया गया समझा जायेगा।

3. अधीक्षक ऐसी जांच किए जाने पर जिसे कि वह उचित समझता है, उसे इस बात पर विश्वास होता है कि बन्दी किसी जेल अपराध का दोषी है, तो वह बन्दी को निम्नलिखित दण्डों में से एक या अधिक दे सकता है :—

(क) जेल कोठरी में 14 दिन की अवधि तक बन्द रखना,

(ख) 14 दिन की अवधि के लिए खुराक को घटाना अथवा बदलना,

(ग) 2 मास की अवधि तक के लिए बाहर से प्राप्त की जाने वाली राशि को बन्द करना अथवा कम करना,

(घ) पत्र लिखने अथवा प्राप्त करने अथवा समाचार-पत्र व पुस्तकें प्राप्त करने की विशेष सुविधा को ऐसी अवधि के लिए दो महीने से अधिक न हो, समाप्त करना अथवा कम करना,

(ङ) ऐसी अवधि के लिए जो दो मास से अधिक न हो, लोगों से भेंट की सुविधा का समाप्त या कम करना,

(च) अपने कपड़े पहनने की विशेष सुविधा को समाप्त करना,

(छ) चारपाई की विशेष सुविधा को समाप्त करना।

18. घड़िया.—अबन्दी को अपने खर्चे पर (हाथ की) कलाई घड़ी अथवा टाईम पीस रखने की अनुमति होगी किन्तु इसकी सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं होगी।

19. पुस्तके तथा पत्रिकाएं.—(1) बन्दी को सरकार के खर्चे पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है:—

(1) जहां सम्भव हो बन्दी को पुस्तकालय की सुविधाएं दी जा सकती हैं पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार-पत्र पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश की स्वीकृति के अनुसार होगी।

(2) प्रत्येक 80 बन्दियों के लिए बारी-बारी से एक अंग्रेजी या एक क्षेत्रीय भाषा का समाचार-पत्र दिया जायेगा। यदि एक विशेष भाषा को जानने वाले बन्दियों की संख्या 10 से कम है तो उन्हें भी सरकारी खर्चे पर उस भाषा का समाचार-पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिये। जेल अधीक्षक के पास रखी गई समाचार-पत्रों की अनुमोदित सूची में से बन्दी अपनी इच्छा के अनुसार पढ़े जाने वाले समाचार-पत्र का चुनाव कर सकता है। अनुमोदित समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

(2) बन्दी अपने खर्चे पर निम्नलिखित सुविधाओं का उपभोग कर सकता है:—

(1) बन्दी स्वयं अपनी व्यवस्था के द्वारा कितनी भी संख्या में पुस्तकें, पत्रिकायें तथा समाचार-पत्र प्राप्त कर सकता है ।

(2) सभी पुस्तकें अथवा समाचार-पत्र बन्दी को अधीक्षक के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिये अथवा लिये जायेंगे । पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश स्वविवेकानुसार किसी भी पुस्तक अथवा समाचार-पत्र को रोक सकता है । ऐसी स्थिति में जबकि कोई पुस्तकें अथवा समाचार पत्र रोके गए हैं तो पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश अथवा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नामित किसी अधिकारी को इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी । सरकार द्वारा स्वीकृत समाचार पत्र बिना किसी पूर्व सेंसर के बन्दी को दिये जायेंगे । बन्दियों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत समाचार-पत्रों, पत्र तथा पत्रिकाओं के नाम इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं ।

(3) यदि किसी पुस्तक, पत्रिका अथवा समाचार पत्र को रोकने सम्बन्धी स्थानीय प्राधिकारियों के निर्णय से बन्दी सन्तुष्ट न हो तो वह अधीक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवेदन कर सकता है जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

20. मनोरंजन.—(1) जिस जेल में बन्दी को रखा जाता है वहां उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त बन्दी को निम्नलिखित मनोरंजन सुविधायें दी जा सकती हैं:—

(क) जिस जेल में वह बन्दी है उसके परिसर में सुबह व शाम टहल सकता है,
(ख) बैडमिंटन तथा वालीवाल इत्यादि खेल सकता है,
(ग) अन्तर्वासी खेलें जैसे शतरंज, कैरम तथा ताश खेल सकता है।

(2) सभी खेलों के लिए सामग्री सरकारी खर्च पर दी जायेगी । फिर भी, किसी मित्र या सम्बन्धी को अधीक्षक के पूर्व अनुमोदन पर बन्दी के मनोरंजन के लिये सामग्री देने में कोई आपत्ति नहीं होगी । बन्दी को अपना ग्रामोफोन, रेडियो और ट्रांजिस्टर रखने की अनुमति होगी बशर्तेकि यह अधीक्षक द्वारा नियन्त्रित हो और किसी प्रसारण जिसे अधीक्षक प्रतिकूल प्रभाव वाला समझे को सुनने से सम्बन्धित उसके अनुदेशों का पालन करें।

(3) अनुशासन की दृष्टि से अधीक्षक को मनोरंजन के प्रयोजन से दी जाने वाली किसी प्रकार की सुविधा को रोकने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. कार्य.—(1) किसी भी स्थिति में बन्दी को कोई भी कार्य जिसमें शारीरिक परिश्रम का कार्य भी सम्मिलित है तब तक नहीं देना होगा जब तक कि वह स्वेच्छा से लिखित रूप में उसे करने की इच्छा व्यक्त नहीं करता ।

(2) ऐसे सभी मामलों में जब कोई कार्य बन्दी के अनुरोध पर उसे सौंपा गया है के लिए उचित पारिश्रमिक देना होगा और अधीक्षक के पास रखी हुई बन्दी की निजी निधियों में जमा करना होगा ।

22. धूम्रपान—बन्दी को अपने खर्च पर सिगरेट पीने और हुक्का रखने की अनुमति होगी।

23. बन्दी गृह का स्थान.—बन्दी को राज्य की किसी भी जेल में रखा जा सकता है।

24. आवेदन और अभिवेदन.—बन्दी अपने आवेदन या अभिवेदन दो प्रतियों में सरकार को प्रेषित करेंगे । ऐसे आवेदन और अभिवेदन की एक प्रति अधीक्षक द्वारा आगामी प्रकरणों की व्यवछूति के लिए रखी जायेगी।

25. चिकित्सा सुविधाएं.—बन्दी का साधारणतया जेल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपचार किया जायेगा । उन मामलों में सरकार से आदेश लेने होंगे । जहां बन्दी को आप्रेशन या अन्य विशेष उपचार जो जेल में आसानी से उपलब्ध न हो के लिये जेल से बाहर सिविल अस्पताल में भेजना अनिवार्य हो।

आपात्त मामलों में अधीक्षक को सरकारी स्वीकृति देने का अधिकार है परन्तु उसे उन मामलों जिनके लिए वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है की रिपोर्ट शीघ्र देनी होगी। अधीक्षक के ऐसे बन्दियों को अस्पताल में रखने के दौरान सुरक्षा प्रबन्धों के लिये पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश से निवेदन करना होगा ।

जेल अनुशासन के उद्देश्य से अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिमाचल प्रदेश बन्दी (बन्दी बनाने की शर्तें) आदेश, 1980 के उपबन्धों का उचित पालन किया जा रहा है, एक जेल अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा । यदि जेल चिकित्सा अधिकारी या अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ जो बन्दी का उपचार कर रहा है द्वारा सिफारिश हो तो सरकारी खर्च पर बन्दी को ऐनकें और कृत्रिम दांत आदि भी दिए जायेंगे ।

26. विविध.—बन्दी से सम्बन्धित सभी विवरण सिविल बन्दियों के रजिस्टर में (क्रमांक बिना) प्रविष्ट किये जायेंगे और बन्दियों के सभी आंकड़े अलग से जेल विवरणों में दिखाये जायेंगे ।

27. वृत-पत्र.—प्रत्येक बन्दी का वृत पत्र यह सूचना देते हुए जो कि पंजाब जेल नियमावली के अनुच्छेद 504 से 508 के बन्दियों पर प्रयोज्य है तथा जैसे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में भी लागू है तैयार किया जायेगा । यह वृत पत्र जेल अधीक्षक द्वारा रखा जायेगा, बन्दी द्वारा नहीं जैसा कि पंजाब जेल नियमावली के अनुच्छेद 508 में दिया गया है—(नहीं) है

28. बन्दी को आदेशों का प्रकटीकरण.—हिमाचल प्रदेश बन्दी आदेश, 1980 (बन्दी बनाने की शर्तें) बन्दियों के जेल में पहुंचने पर उन्हें दिखाए जायेंगे।

29. अनुदेश जारी करने की शक्तियां.—जेल अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए अन्य स्थानीय शर्तें आदि जो आवश्यक हों पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अनुसार जारी की जा सकती हैं ।

फार्म 'क'

(खण्ड 13 देखिये)

मिलने के लिए अवेदन-पत्र

बन्दी को मिलने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण।

जिस बन्दी से मिलना है उस का नाम————————

प्रार्थी का नाम————————

बन्दी के साथ प्रार्थी का सम्बन्ध————————

प्रार्थी का पूरा पता————————

उद्देश्य जिसके लिए मिलना अपेक्षित है————————

————————

दिनांक ————

घण्टे ————प्रातः————

सायं ————

प्रार्थी के हस्ताक्षर।

फार्म 'ख'

[खण्ड 14 (2) देखिये]

प्रेषक का पूरा नाम ————————

पत्र में उलिखित प्रेषिती और ————————

किसी दूसरे व्यक्ति का ————————

पूरा नाम, पता तथा सम्बन्ध ————————

यहां से पृथक किया जायेगा————————

————जेल————

————————

————————

————————

————————

सैंसर अधिकारी के हस्ताक्षर। दिनांक प्रेषक का नाम।

अनुलग्नक 'क'

(खण्ड 20 देखिये)

अनुमोदित समाचार-पत्रों की सूची

समाचार-पत्र, पत्र तथा पत्रिकाएं जो कि राज्य सरकार के खर्च पर हिमाचल प्रदेश की जेलों में रखे गए बन्दियों को दी जाती हैं :—

दैनिक समाचार-पत्र

अंग्रेजी :
(1) हिन्दुस्तान टाईम्स
(2) इण्डियन ऐक्सप्रैस
(3) दी ट्रिब्यून
(4) पैट्रीयोट

हिन्दी :
(1) हिन्दी मिलाप
(2) दैनिक ट्रिब्यून
(3) वीर प्रताप
(4) हिन्दुस्तान टाईम्स
(5) पंजाब केसरी

साप्ताहिक समाचार-पत्र

अंग्रेजी :
1. इलसट्रेटिड वीकली आफ़ इण्डिया

हिन्दी :
1. धर्मयुग
2. हिन्दुस्तान

2. समाचार-पत्र, पत्र पत्रिकाएं जिनकी बन्दी को अपने खर्च पर लेने के लिए अनुमति है:—

अंग्रेजी :
1. टाईम्स आफ इण्डिया
2. स्टेट्समैन
3. इक्नोमिक रिव्यू
4. रीडरज डाइजैस्ट ।

हिन्दी :
1. नव भारत टाईम्ज
2. गिरि राज ।

द्वारा आदेशित,
मधू सूदन मुकर्जी,
सचिव ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT, UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 343 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, OF HIMACHAL PRADESH DETENUS (CONDITION OF DETENTION) ORDER, 1980

1. *Short title, extent and application.*—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Detenus (Condition of Detention) Order, 1980.

(2) It shall extend to whole of Himachal Pradesh.

(3) It shall apply to all persons detained by an order made under section 5 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.

2. *Definition.*—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "detenu" means any person being detained in the State of Himachal Pradesh in persuance of an order passed under section 3 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980;

(*b*) "jail" means any prison as defined in section 33 of the Prison Act, 1894 (IX of 1894) and includes a Police Lock-up or any other place which has been declared by the State Government by a general or special order to be a subsidiary jail;

(*c*) "relative" includes father, mother, wife, husband, children, uncle, aunt, brother, sister, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law and brother-in-law of the detenu;

(*d*) "Superintendent" means then Sperintendent of the jail in which any detenu is detained, or in case of a Police Lock-up, the officer-in-charge of the Police Station in whose jurisdiction the Lock-up is situated.

3. *Classification.*—The detenus shall be classified in two classes *viz.*, special class and ordinary class. All members of Parliament, all members of Legislative Assemblies and Legislative Councils shall be classified as special class and all other detenus shall be classified as ordinary class.

4. *Ex-Gratia Family Allowance.*—If the State Government, after making such inquiry as it may deem fit, is satisfied that the detenu is the bread winner of the family and detention has substantially affected the means of subsistence of his family, it may grant an *ex-gratia* family allowance to the detenu's family, at the rate of 33½% of the income of the person detained:

Provided that the amount of such grant shall not be less than Rs. 75 and more than Rs. 150 per mensem in any case.

5. *Accommodation.*—Detenus shall be kept in cells or association wards, (preferably the latter) when they are detained in jail, but in case, they are detained in Police Lock-ups, they shall be kept in the Lock-ups separately from other persons but allowed to associate freely with each other if there are other detenus. The Secretary (Food and Supply) to the Government of Himachal Pradesh or the Inspector General of Police, Himachal Pradesh may confine any particular detenu or any particular class of detenus separately if this is considered desirable on any ground. The detenus may be allowed to sleep in the open during summer where such arrangement exists or can be made.

6. *Lock-up.*—The detenus shall not normally be locked up at night. However, if the Superintendent considers that it is expedient to do so in view of the suspicious character of the detenu, he may, lock up the detenu during night and record reasons for doing so in his journal. The outer gate of the compound shall, however, remain locked up all the twenty-four hours.

7. *Diet.*—(1) Special class detenus shall be given a diet allowance of Rs. 10 and ordinary class detenus Rs. 8 per day. They will run their own kitchen with the assistance of jail staff. They shall be supplied articles stocked in jail for prisoners but payment for the articles supplied will be made out of the separate account to be opened for the detenus. In addition they can get other articles through prison canteen. They may, if they so like, get articles of their choice from outside through a contractor to be approved by the Superintendent. The articles so purchased shall be examined by the Superintendent.

(2) The detenus may be allowed by the Superintendent to supplement his food including fruits (both fresh and dry) in reasonable quantity and pure "ghee" upto 1.25 kg. a week from outside provided that the articles of diet so received shall be subject to examination by the Superintendent.

8. *Clothing and Bedding.*—Each detenu may wear his own clothes and his relations may, if so permitted by the Superintendent, send extra-clothes and bedding. A detenu who is unable to provide himself with clothing and bedding shall be supplied clothing and bedding by the Superintendent as per scale given below, on the condition that he will not be permitted to use his private bedding and clothes :—

Name of Clothes	*Special Class (During all seasons)*	*Ordinary Class*
Kurtas ..	4	4
Pyjamas or dhotis ..	4	4
Chadars or bed sheets ..	2	2
Covering sheets ..	2	2
Towels ..	2	2
Cotton durries (7′×4′) ..	1	1
Tulai ..	1	1
Kachhas or janghias ..	3	3
Banyans ..	2	2
Pagree or caps ..	2	2
Pillows with 2 covers ..	1	1
Country made shoes ..	1 (pair)	1 (pair)
Blanket ..	1	1

During winter season in addition to clothing and bedding provided during all seasons :—

Sweater ..	1	1
Quilt ..	1	1
Woollen Coat ..	1	1
Quilt cover ..	1	1
Woollen socks ..	2 (pairs)	2 (pairs)

Notes.— (*i*) All detenus may be provided with English pattern shoes instead of country made shoes, if they so wish.

(*ii*) The Superintendent shall make arrangements at Government expense for repairing shoes of the detenus.

(*iii*) The Superintendent may issue necessary clothes to such deserving detenus who have no clothes of their own at the time of their release.

(*iv*) In case, the detenu does not wish to wear jail clothes and cannot get clothes of his own, clothes can be made according to his specifications; provided the cost of clothing for summer and winter wear does not exceed the scale of clothing laid down for the class to which the detenu belongs.

9. *Furniture.*—(1) Special class and ordinary class detenus shall be supplied with the following furniture:—

1.	Charpai	..	One
2.	Wooden Chair	..	One
3.	Wooden Tea-Poy	..	One
4.	Writing Table	..	One
5.	Shelf, cup board or almirah		One
6.	Mosquito net	..	One

(2) In addition, the special class detenus will be at liberty to supplement it by other articles within reasonable limits at their own cost.

(3) All detenus may also be provided with electric fans wherever possible.

10. *Sundry Allowance.*—All detenus shall be paid a lump-sum sundry allowance of Rs. 25 per month for the purchase of toilet articles, washing and smoking materials etc. This allowance will be kept by the Superintendent and will not be allowed to accrue for more than two months. Un-spent amount will not be payable to the detenus.

11. *Funds.*—(1) All detenus may receive from their relatives or friends at intervals not less than a month funds not exceeding in the aggregate of Rs. 50 per mensem to enable them to supplement the amenities of life.

(2) All funds so received shall be kept by the Superintendent and spent by him on behalf of the detenus.

12. *Discipline and Searches.*—(1) Detenus shall for the purpose of discipline be subject to such rules relating to civil prisoners as are not inconsistent with this Order or any other special orders passed by the State Government in this behalf.

(2) Every detenu and his cell or ward shall be searched not less than once a week by the Deputy Superintendent or the Assistant Superintendent as detailed by the Superintendent. Special precautions shall be taken to make the searches thorough and the facts of the search shall be noted in the Deputy Superintendent or the Assistant Superintendent's report book. Every detenu shall also be searched before and after interviews and at any other time if the Superintendent considers it necessary.

13. *Interviews.*—(1) Every detenu shall be granted interview with a lawyer of his choice with the prior approval in writing of the State Government or the District Magistrate of the District wherein the detenu is detained under the orders of the Central Government or the State Government, subject to the following conditions:—

(*i*) the interview will not be allowed more than once a week;

(*ii*) the interview will be confined to the matters relating to the detenu's detention or such other judicial matters pertaining to the detenu's as may be pending in the Court;

(*iii*) the interview will not last more than 2 hours on any one occasion;

(*iv*) the interview will be held in the presence and within the hearing of an officer deputed by the State Government or the District Magistrate of the District or the Superintendent of the jail concerned or the Central Government as the case may be.

(2) On the application of a detenu, the District Magistrate or the Superintendent of the jail may grant special interview with not more than one person at a time to be specified by him in connection with the following matters, namely:—

(*i*) filling of returns of Income Tax, Sales Tax or the like;

(*ii*) business or professional matters if the District Magistrate or the Superintendent of the jail is satisfied that such matters cannot be looked after by any other than the detenu:

Provided that such interview will be held in the presence and within the hearing of an officer deputed by the District Magistrate or the Superintendent of the jail.

(3) A detenu may be allowed interview with the members of his family and near relatives not exceeding two in number once a fortnight by the District Magistrate of the district or the Superintendent of the jail wherein the detenu is detained, subject to the conditions that the interview will be held in the presence and within the hearing of an officer deputed by the District Magistrate or the Superintendent of the jail, as the case may be.

(4) A statement shall be maintained by the Superintendent of all interviews between a detenu and his relatives with the names and addresses of the persons present at each interview.

(5) The Superintendent or the officer nominated under sub-clause (1) may stop the interview if the conversation turns on any undesirable subject such as party and political matters.

(6) Subject to the directions of the State Government or the Central Government, as the case may be, the Inspector General of Police, the Deputy Inspector General of Police, Criminal Investigation Department may, by general or special order, authorise any police officer either singly or with another police officer and accompanied or unaccompanied by subordinate police officers to interview any detenu.

(7) The police officers so authorized shall be allowed to interview detenus in their cells or wards on their making a written requisition to that effect, at the time of the interview while visiting the cells or wards, every officer shall be accompanied by such escorts as the Superintendent may consider necessary for his safety. The escort, if the officer so required, shall stand out of the ear shot, but within sight while interviewing detenus.

(8) The officers so authorized shall be allowed to interview detenus in the ordinary interview room, without jail officers being present on making a written requisition to that effect.

14. *Correspondence and Censorship.*—(1) Letters from a Legislature detenu to the Chairman or Speaker of the Legislature concerned and a communication from the Chairman or Speaker to the detenu, as well as correspondence between a detenu or Court of Law need not be censored and the same be forwarded directly by the Superin-

tendent to the quarters concerned. All such letters should be sent by the Superintendent within 24 hours of their receipt by him. The letters meant for the Legislature detenus received from the Legislative Secretariat and the letters from the Court of Law to any detenu should be delivered on the day these are received.

(2) Each detenu will be permitted to write four letters a week at Government expense excluding those referred in sub-clause (1) and may receive any number of letters per week. All letters from detenus shall be written in Form "B" annexed to this Order and shall not exceed the length prescribed. The necessary forms shall be supplied by the Government.

(3) The Superintendent shall have the discretion to allow additional correspondence beyond the limitation prescribed in sub-clause (2) in case of absolute necessity and the detenu happens to be lodged in a jail away from his normal place of detention.

(4) In exercising censorship of letters, the jail authorities should ensure that:—

(*a*) there is no cause for undue delay and transmission or delivery of letters;

(*b*) the letters delivered or transmitted contain nothing which is prejudicial to the interest of the Government.

(5) The letters addressed by the Government to the detenu and reply thereof shall not be included for purposes of determining the number of letters exchanged by the detenu under this Order.

(6) All correspondence, addressed by a detenu to the Central Government or to any other State Government shall be routed through the State Government. This shall not, however, apply to the correspondence mentioned in sub-clause (1).

(7) No letter, newspapers, or other communication shall be transmitted to or from any detenu except through the Superintendent or such other officers as the State Government, by general or special orders, designate in this behalf.

(8) All letters to and from detenus detained in jail shall be perused by the Superintendent concerned and subject to any special orders of the State Government shall be submitted by the Superintendent direct to the Inspector General of Police, Himachal Pradesh who may at his discretion either forward the letter(s) without delay or withhold them in case of doubt. The Inspector General of Police, Himachal Pradesh, shall refer the letter to the Home Secretary to the Government of Himachal Pradesh or an officer designated by the Government in this behalf.

(9) If any communication made by or intended to be delivered to a detenu, anything objectionable from the point of view of jail discipline is found by the Superintendent, he may delete the same or mark it for deletion and mention what has been done when forwarding such communication to the proper authority.

(10) Every letter forwarded to or from a detenu shall be initialled and dated by the officer who handled the letter.

(11) In all cases, in which a letter is withheld, the detenu shall be informed by the Superintendent concerned of the said fact. All letters withheld shall be sent to the Inspector General of Police, Himachal Pradesh or any other officer designated by the Government in this bahalf, who may at his discretion either retain them or destroy them.

(12) The following procedure shall be followed with regard to the despatch of telegrams to and from detenus:—

When the telegram is to or from the State Government it shall be forwarded direct; provided the State Government shall always be the intermediatry in correspondence with the Central Government. It shall be the duty of the Superintendent to ensure that only telegrams, the urgency of the contents of which justifies the use of telegraphic transmission shall be despatched or received by detenus. The Superintendent may despatch any telegram from a detenu including a petition submitted in telegraphic form, by post instead of by telegram in any case where in his opinion the subject matter is not of sufficient urgency to justify transmission by telegram.

(13) The detenu shall attach to all their out-going correspondence (including telegrams) a slip containing the full name and address and relationship, if any, of the addressees, and of each person mentioned in the letter or telegram. These slips shall be sent to the Inspector General of Police, Himachal Pradesh or any other officer designated by the Government in this behalf, who, if he considers that the writers should not be allowed to correspond with the addressee, shall inform the Superintendent or the officer concerned for his future guidance.

15. *Writing Materials.*—(1) All detenus shall be supplied writing material at their own expense, provided that the supply of paper shall be subject to the following conditions:—

(*i*) it shall be supplied in small quantities at a time and shall before delivering to the detenu be numbered and jail stamps affixed to it, and

(*ii*) an additional lot shall not be supplied unless the paper already supplied is produced and is found to have been properly used.

(2) Student detenus shall be provided with all facilities to prosecute their studies in jail.

(3) All detenus who desire to learn Hindi shall be supplied at Government expense slates, pencils, takhtis, ink-pot and pens during teaching hours.

16. *Examination.*—Student detenus shall be allowed to appear in examinations.

17. *Offence and Punishment.*—(1) A detenu,—

(*i*) shall reside in the accommodation allotted to him by the Superintendent whether in an associated ward or a cell;

(*ii*) shall not proceed beyond the limits of jail save with permission of the Superintendent given by general or special order in this behalf;

(*iii*) shall obey the orders of Superintendent issued from time to time for the comfort, safety and health or for discipline, orderly conduct and control of detenu;

(*iv*) shall attend roll call and answer to his name in person at such time and places within the jail as may be appointed by the Superintendent;

(*v*) shall conform to the standards of cleanliness and dress laid down by the Superintendent;

(*vi*) shall not do anything wilfully with the object of affecting his own bodily welfare;

(*vii*) shall not have in his possession any coin, currency notes or negotiable instruments and any weapon, stick, razor other than safety razor, pieces of iron or any other article which may be used as a weapon;

(*viii*) shall not exchange or sell any of his kit, equipment, clothes, furniture or other possessions; and

(*ix*) shall not refuse to take the prescribed diet.

(2) Any detenu who contravenes any of the provisions of sub-clause (1) or refuses to obey any order issued thereunder or does any of the following acts, namely:—

(*i*) assaults, insults, threatens or obstructs any fellow prisoner, any officer of the jail or any other Government servant or any person employed in or visiting the jail; or

(*ii*) quarrels with any person in the jail; or

(*iii*) is guilty of indecent, immoral or dis-orderly conduct; or

(*iv*) communicates or attempts to communicate with any persons outside the jail in an un-authorised manner; or

(*v*) bribes or attempts to bribe any Government servant or any other person employed in or visiting the jail; or

(*vi*) commits any nuisance or wilfully befouls any well, latrine, washing or bathing place; or

(*vii*) disobeys the orders of, or shows dis-respect to any officer of the jail; or

(*viii*) wilfully damages any property belonging to the Government or tampers with any lock, lamp or light in the jail; or

(*ix*) receives, possesses or transfers any articles in contravention of an order of the Superintendent; or

(*x*) feigns illness; or

(*xi*) wilfully, brings a false accusation against any officer of the jail or fellow prisoners; or

(*xii*) omits or refuses to report as soon as it comes to his knowledge, the occurrence of any fire, any plot or conspiracy, any escape, attempt or preparation to escape and any attack upon any officer of the jail; or

(*xiii*) abets the commission by a fellow prisoner of the fore-going acts; or

(*xiv*) omits or refuses to help any officers of the jail in the case of attempted escape on the part of any fellow prisoners or of any attack upon such officers or upon any office fellow prisoners, shall be deemed to have committed a jail offence.

(3) Where upon such inquiry, as he thinks fit to make, the Superintendent is satisfied that a detenu is guilty of a jail ofience, he may award the detenu one or more of the following punishments:—

(*a*) confinement in cells for a period not exceeding 14 days;

(*b*) reduction or alteration of diet for a period not exceeding 14 days;

(*c*) cancellation or reduction for a period not exceeding 2 months of the concession of receiving funds from outside;

(*d*) cancellation or reduction for a period not exceeding 2 months of the privilege of writing or receiving letters or of receiving newspapers and books;

(*e*) cancellation or reduction for a period not exceeding 2 months of the privilege of having interviews;

(*f*) cancellation of the privilege of wearing of his own clothes;

(*g*) cancellation of the privilege of charpai.

18. *Watches.*—A detenu shall be allowed to keep either a wrist watch or time piece at his own expense but no responsibility for their safety will be taken by the Government.

19. *Books and Periodicals.*—(1) The following facilities may be made available at Government expense:—

(*i*) a detenu may be afforded library facilities wherever possible. The books, journals and newspapers provided in a library shall be subject to the approval of Inspector General of Police, Himachal Pradesh;

(*ii*) one English or one regional language paper for every 80 detenus shall be prescribed by circulation. In case, where the detenu knowing a particular language is below 10, they should also be provided with the newspaper in that language at Government expense. The detenu may make a selection of the newspaper he desires to read from a list of approved newspapers kept by the Superintendent. The list of the approved newspapers and periodicals is at Appendix "A".

(2) The detenu may avail himself of the following facilities at his own expenses:—

(*i*) the detenu may obtain any book, journal or newspaper without limitation as to number, by making his own arrangements;

(*ii*) all books or newspapers shall be transmitted to and from detenu by the Inspector-General of Police, Himachal Pradesh through the Superintendent. The Inspector-General of Police, Himachal Pradesh may at his discretion withhold any newspaper or books. In cases, in which books or newspapers have been withheld a report shall be made to the Inspector-General of Police, Himachal Pradesh or any other officer designated by the Government in this behalf. The newspapers permitted by the Government shall be handed over to the detenu without prior censorship. The names of the newspapers, periodicals and magazines, which have been approved by the Government for the detenus, are shown in Appendix "A" appended to this Order;

(*iii*) in matters relating to the withholding of any book, journal or newspaper, the detenu may, if not satisfied with the decision of the local authorities, make representation through the Superintendent to the State Government whose decision shall be final.

20. *Recreation.*—(1) Subject to the facilities available in the jail, where the detenu is confined, the detenu may be permitted to:

(*a*) have walks inside the compound of the jail, where he is confined, both in the morning and in the evening;

(*b*) play games like badminton and volley-ball etc.;

(*c*) play indoor games like chess, carrom and cards.

(2) Material for all games may be provided at Government expense. There is however, no objection to a friend or relative providing material to the detenu for his recreation subject to the prior approval of the Superintendent. A detenu may be allowed to keep a gramophone and radio or transistor of his own; provided that the same is controlled by the Superintendent and the detenu abides by the instructions of the Superintendent in regard to the listening to any broadcast that the Superintendent may consider prejudicial.

(3) In the interest of the discipline the Superintendent shall have full authority in withdrawing any facility that may be given for recreation purposes.

21. *Tasks.*—(1) In no case should a detenu be assigned a task including physical labour, unless he voluntarily expresses his willingness in writing to undertake it.

(2) In all cases where a task is assigned to the detenu on his own request, appropriate remuneration should be paid and credited to the private funds of the detenu kept with the Superintendent.

22. *Smoking.*—The detenus shall be allowed smoking cigarettes and keep Hukkas at their own expense.

23. *Place of Detention.*—The detenu may be detained in any jail of the State.

24. *Application and Representation.*—The detenus shall submit their applications or representations to the Government in duplicate. One copy of such application and representation shall be detained by the Superintendent to deal future references.

25. *Medical Facilities.*—The detenu will ordinarily be treated by Medical Officer of the jail. In cases, where it is necessary to remove a detenu to a civil hospital outside the jail for operation or other special treatment which can not conveniently be given in the jail itself, the orders of the Government shall be obtained. In emergency cases, the Superintendent is authorised to anticipate the sanction of the Government, but he should make an immediate report of all cases in which he avails himself of the authority. The Superintendent should ask the Inspector-General of Police, Himachal Pradesh to make arrangements for guarding such detenus during their stay in civil hospital. For the purpose of jail discipline, the Superintendent shall depute a jail officer to see that the provisions of the Himachal Pradesh Detenus (Conditions of Detention) Order, 1980 are properly observed. The detenu should also be provided with spectacles and denture etc. at Government expenses if recommended by the jail medical officer or any other medical specialist by whom the detenu is being treated.

26. *Miscellaneous.*—All particulars relating to detenu shall be entered (without serial number) in the register of civil prisoners, and all statistics of detenus shall be shown separately in jail returns.

27. *History Tickets.*—A history ticket shall be maintained for each detenu containing information applicable to prisoners in paragraphs 504 to 508 or the Punjab Jail Manual as applied to the State or Himachal Pradesh. The history ticket shall be kept by the Superintendent and not by a detenu as laid down in Para 508 of the Punjab Jail Manual (*ibid*).

28. *Disclosure of order to Detenu.*—The Himachal Pradesh Detenus (Conditions of Detention) Order, 1980 shall be shown to the detenus on their arrival in the jail.

29. *Powers to issue instructions.*—Such other local instructions as may be necessary for the guidance of the jail officers may be issued by the Inspector-General of Police, Himachal Pradesh, with the prior approval of the State Government.

FORM "A"

(*See* clause 13)

APPLICATION FOR INTERVIEW

Particulars to be furnished by person desiring to interview a detenu

Name of Detenu to be interviewed .....

Name of the applicant .....

Relationship of applicant to detenu .....

Full address of applicant .....

Purpose for which interview is desired .....

Dated.....

Hours..... A.M./P.M.

Signature of Applicant.

FORM "B"

[*See* clause 14(2)]

Full name of Sender .....

Full name, address and relationship of addressees and of any other person mentioned in the letter .....

.....

To be detached here

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Signature of Censoring Officer. Date Name of Sender.

APPENDIX "A"

(*See* clause 20)

LIST OF APPROVED NEWSPAPERS

Newspapers, periodicals and Magazines which are supplied to the detenus confined in the Himachal Pradesh jails at the State Government expenses:—

English:

Dailies

1. The Hindustan Times.
2. The Indian Express.
3. The Tribune.
4. Patriot.

Hindi:

1. Hindi Milap.
2. Dainik Tribune.
3. Vir Pratap.
4. Hindustan Times.
5. Punjab Kesari.

Weeklies

English:

1. Illustrated Weekly of India.

Hindi:

1. Dharam Yug.
2. Hindustan.

2. Newspapers, periodicals and magazines, which detenus are allowed at their own expenses:—

English:

1. Times of India.
2. Statesman.
3. Economic Review.
4. Readers Digest.

Hindi:

1. Nav Bharat Times.
2. Giri Raj.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।